राजस्व अपील संख्या 295/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. श्रीमती कमला पत्नि श्री विशालाराम, 2. श्रीमती संतोष पत्नि श्री नारायणराम, 3. श्रीमती चुनी पत्नि श्री बाबुराम, 4. श्रीमती सुवा पत्नि श्री डालूराम जातियान जाट, निवासीगण ग्राम चम्पासर, तहसील बाप, जोधपुर।		1. श्रीमती सुगनी पुत्री पूरनाराम जाति जाट निवासी चम्पासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर। 2. सुखाराम पुत्र हेमाराम के का.मु. 2/1 जगदीश पुत्र स्व. सुखाराम, 2/2 गोपाल पुत्र स्व. सुखाराम, 2/3 चैनीदेवी पत्नि स्व. सुखाराम, 3. रेंवतराम गोदपुत्र स्व. उदाराम, जातियान जाट,निवासी चम्पासर तहसील बाप, जिला जोधपुर। 4. ग्राम पंचायत बूंगडी, जरिये सरपंच तहसील बाप, जिला जोधपुर

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.06.2016 जो राजस्व अपील संख्या 26/2013 अनवान सुगनी बनाम सुखाराम वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, बाप ने पारित किया।

उपस्थितिः—

1— कानाराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2— गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 26 दिसम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक व उसकी माता श्रीमती रूपा ने दिनांक 23.11.2010 को प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी फलोदी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की कि ग्राम अजासर के खेत ख0 सं0 252 रकबा 237.06 बीघा व ख0स0 294 रकबा 58 बीघा भूमि की खातेदारी पूरणाराम पुत्र भीयाराम के नाम से 1/2 हिस्सा, तथा हेमाराम पिता भीयाराम के नाम 1/4 हिस्सा, शेष 1/4 हिस्सा भारमलराम व बंशीलाल के नाम दर्ज थी। हेमाराम व पुरणाराम के देहान्त के पश्चात् उनके पुत्र ने हल्का पटवारी व तत्कालीन सरपंच से मिलावट कर फर्जी तरीके से पूरणाराम के हिस्सें में सुखाराम को पूनाराम का खोले जाना बता कर अपीलान्ट के बाले—बाले नामा0 सं0 108 स्वीकृत करवा लिया जो गलत है। रेस्पो0 संख्या 01 ने अपनी अपील में यह भी उल्लेख किया कि उन्हें नामा0 की सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल मांगने पर दिनांक 27.10.2010 को हुई, जिस पर नामा0 की नकल लेकर यह अपील अंदर म्याद जानकारी के पेश की। उपखण्ड अधिकारी फलौदी के द्वारा दिनांक 23.11.2010 को अपील संख्या 16/2010 दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पो0 संख्या 02 सुखराम की ओर से श्री हीरालाल विश्नोई एडवोकेट ने अपना वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी बाप सृजित हो जाने से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाप को स्थानान्तरण कर दी गई, जिसके नये नम्बर 26/2013 अंकन किये गये। राज्य सरकार की ओर से लोक अदालतों के माध्यम से विवाद निस्तारण करने आदेश दिनांक 21.04.2015 को जारी होने से उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा पत्रावली दिनांक 22.05.2015 को मुकाम रोहिणा के कैम्प में रखी गई। पत्रावली रेस्पोडेन्ट के नोटिस तामील के स्तर पर विचाराधीन थी। दिनांक 01.06.2016 को उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा केम्प कोर्ट बूंगडी में अपील को एकतरफा आदेश पारित कर नामा0 संख्या 108 दिनांक 02.11.1979 को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाप का आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2016 को पारित करने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट सुखाराम पुत्र हेमाराम का देहान्त दिनांक 05.05.2016 को हो चुका था, ऐसे में अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपील 31 वर्ष से म्याद बाहर थी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता 41 नियम 03 ए के प्रार्थना पत्र पर एवं अपील को अंदर म्याद शुमार किये जाने के प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया जबकि अपील के गुणावगुण की सुनवाई से पूर्व म्याद के बिन्दु को निर्धारण करना कानून बाध्यकारी है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रथम अपील के रेस्पोडेन्ट यानि विरोधी पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, न ही अपील निस्तारण करने से पूर्व विरोधी पक्ष को नोटिस/इत्तला दी गई है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिले खारिज है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि सुखाराम पुत्र पूरणाराम के नाम से खातेदारी सन् 1979 से इन्द्राज होती आ रही थी, और मौके पर सुखा पुत्र पूरणा का कब्जा काश्त था। सुखा पुत्र पूरणाराम ने यह भूमि दिनांक 26.10.06 को पंजीबद्ध विक्रय विलेख के अपीलांट को हस्तान्तरण कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। दिनांक 26.10.06 के बेचाननामा रूह में नामा. सं. 315 दिनांक 29.01.2007 को स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। जमांबदी में अपीलान्ट्स का नाम खातेदार की हैसियत से इन्द्राज था और जानकारी रेस्पो0 सं0 01 सुगना को बखुबी थी। रेस्पो. सं. 01 सुगना ने इन तथ्यों को छुपा कर प्रथम अपील प्रस्तुत की थी तथा प्रभावित पक्षकार अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया है, जो काबिले खारिज के है। नामा0 सं0 108 को निरस्त होने पर अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त होती है, क्योंकि अपीलान्ट् ने सुखा से यह भूमि खरीद की और सुखा के हक में स्वीकृत नामा0 खारिज होने से अपीलान्ट ने हित प्रभावित हो रहे है ऐसे में अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2016 से पीडित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रखते है। अपीलान्ट को रेस्पो0 सं. 01 सुगना ने प्रथम अपील में पक्षकार नही बनाया है, इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96, सी.

पी.सी. का प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपीलान्ट् को अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2016 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 13.10.2016 को जब अपीलाधीन आदेश की नकल उपखण्ड अधिकारी, बाप से प्राप्त हुई, इससे पूर्व अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी, इस कारण अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी, जानकारी के अभाव में उपरोक्त देरी हुई है, उसको क्षमा करने हेतु अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ अलग से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावें। लिहाजा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, बाप के द्वारा प्रथम अपील संख्या 26/2013 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 को अपास्त फरमावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उपरोक्त खसरान भूमि ग्राम अजासर के खेत ख0 सं0 252 रकबा 237.06 बीघा व ख0स0 294 रकबा 58 बीघा भूमि की खातेदारी पूरणाराम पुत्र भीयाराम के नाम से 1/2 हिस्सा, तथा हेमाराम पिता भीयाराम के नाम 1/4 हिस्सा, शेष 1/4 हिस्सा भारमलराम व बंशीलाल के नाम दर्ज थी। हेमाराम व पुरणाराम के देहान्त के पश्चात् उनके पुत्रगण ने हल्का पटवारी व तत्कालीन सरपंच से मिलावट कर फर्जी तरीके से पूरणाराम के हिस्सें में सुखाराम को पूनाराम का खोले जाना बता कर अपीलान्ट के बाले–बाले नामा0 सं0 108 स्वीकृत करवा लिया जो विधि विपरित भरा जाकर स्वीकृत किया गया है। पूर्व में यह भी भूमि भीयाराम के नाम थी तत्पश्चात हेमाराम व पूरनाराम के हिस्से आई। हेमाराम के दो पुत्र उदाराम व सुखाराम थे तथा पूरनाराम के वारिसान के रूप में उनकी पत्नी रूपा व पुत्री सुगनी थी उनके कोई जायन्दा पुत्र नहीं था। ऐसे में वह पूरणाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान थी। सुखाराम व उदाराम के पटवारी हल्का से मिलावट करते हुए नामा0 संख्या 108 ग्राम पंचायत से दिनांक 2.11.1979 को अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया। जबकि नामा0 ग्राम पंचायत की किस बैठक में व किस प्रस्ताव के जरिये स्वीकृत किया गया वह नामा0 में स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है।

रेस्पो0 संख्या 01 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उन्होने अपनी ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील में यह भी उल्लेख किया था कि उन्हें अपीलाधीन नामा0 की सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल मांगने पर दिनांक 27.10.2010 को हुई, जिस पर नामा0 की नकल लेकर यह अपील अंदर म्याद जानकारी के पेश की। उपखण्ड अधिकारी फलौदी के द्वारा अपील संख्या 16/2010 को दिनांक 23.11.2010 को दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 संख्या 02 सुखराम की ओर से श्री हीरालाल विश्नोई एडवोकेट ने अपना वकालतनामा पेश किया।

इसके अतिरिक्त खातेदार पूरणाराम के देहान्त हो जाने के उपरान्त उनकी जायन्दा पुत्रियां जीवित थी जिन्हें अपने पिता की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि में हक–हिस्सा जन्म से ही धारित हो जाता है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा फौतेदगी नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व उनके समस्त वारिसान की कोई जॉच नहीं कराई और न ही रेस्पो0 को अपना पक्ष रखने का और सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, हल्का पटवारी के द्वारा

सुखाराम को पूरनाराम का पुत्र बताकर नामा0 संख्या 108 दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया गया, जबकि उनकी ओर से किसी प्रकार से पूरनाराम के गोदपुत्र होने सम्बन्धी दस्तावेज पेश नहीं किये गये।ऐसे में स्वीकृत किया गया अपीलाधीन नामा0 रेस्पो0 के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करवाये जाने योग्य था। इसके अतिरिक्त गोदनामें को साबित करवाये बिना कोई हक–अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अपीलान्टस के द्वारा यदि पूरनाराम के हिस्सा अंकित भूमि की खरीद की गई है तो खरीद किये जाने से पूर्व उन्हें राजस्व रेकर्ड एवं पूरनाराम के वारिसान बाबत जॉच पडताल की जानी चाहिये थी। इस प्रकार से मृतक खातेदार पूरनाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये नामा0 स्वीकृत किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य की श्रेणी में आता है जिसे निरस्त करवाने की कार्यवाही करने हेतु किसी प्रकार से म्याद बाधा आडे नहीं आती है उसे कभी भी किसी भी स्तर पर चुनौती प्रस्तुत की जा सकती है। अन्य नामा0 में सुखा का 1/2 हिस्सा व सुगनी/पूरनाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज करने हेतु नामा0 स्वीकृत हो रखे है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 को यथावत बहाल रखा जावें। रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त इत्यादि पेश किये। आरआरडी, 2002 पेज 228, आरआरडी, 2017 पेज 54, आरआरडी, 1999 पेज 183, एआईआर, 2011 एससी पेज 1542, आरबीजे, 1995(2) पेज 353, आरबीजे, 1995(2) पेज 359, आरआरडी, 1996 पेज 521 इत्यादि।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय, इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 संख्या 108 को खारिज किया गया है जो दिनांक 02.11.1979 को पारित किया गया यानि कि उक्त नामान्तरकरण की 31 वर्ष बाद अपील दायर की गई। इतनी लम्बी अवधि से अपील पेश करने का उपयुक्त कारण पत्रावली पर नहीं पाया गया व म्याद बिन्दू को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं किया गया। इनते सालों में जमीन का आगे बेचान कर दिया गया व कई काश्तकारान के हित निहित हो गये। अधीनस्थ न्यायालय में विप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित किया जाना पाया गया है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाप के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 को अपास्त किया जाता है। रेस्पोडेन्टस सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत नये सिरे से कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त